रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) और (ख) कासगंज–कनपुर के समान परिवर्तन और कासगंज से अलीगढ़ तक और कासगंज से एटा तक नई बड़ी लाइन के विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

Improvement in catering services in running trains

1198. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken by Government to improve the catering services in running trains; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K C LENKA) : (a) and (b) Improvement in catering is an on-going process. Railways have initiated measures such as introduction of Pantiy Car service, modernisation of base kitchens, introduction of casserole services, intensive inspections, supply of cooked food on trains by reputed caterers, crash, training programme for cooks and direct induction of qualified cooks from markets etc. in this direction.

यात्रियों को मुआवजा

1199. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 322 डाउन टाटा यात्री गाड़ी मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल रेलवे स्टेशन के निकट 4 दिसम्बर, 1992 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) मृत यात्रियों के परिवारों के सदस्यों द्वारा भोपाल रेलवे दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ; उन्हें मुआवजे का भुगतान कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य का पद रिक्त पड़ा हुआ है, यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त है और इसे कब तक भरा जाएगा ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि दुर्घटना से संबंधित मामलों की सुनवाई गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो रही है और सुनवाई की तारीख को लगातार बढ़ाया जा रहा है तथा शोक–सन्तप्त परिवारों को उचित न्याय नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) 322 डाउन नागपुर–टाटानगर पैसेंजर गाड़ी 4-9-92 को किरोड़ीमल नगर स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी।

(ख) इस दुर्घटना में 40 यात्री मारे गए थे।

(ग) रेल दावा अधिकरण, भोपाल में अक्तूबर, 92 से जुलाई, 93 के बीच दुर्घटनाओं संबंधी दावों के 49 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 6 मामले दावाकर्ताओं के अनुरोध पर रेल दावा अधिकरण, सिकन्दराबाद में अन्तरित कर दिए गए हैं। इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) जी, हां सदस्य न्यायिक/भोपाल का पद जनवरी, 93 से खाली पड़ा है और रेल दावा अधिकरणों में सदस्यों के सभी पदों को भरने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है जिसमें रेल दावा अधिकरण भोपाल का पद भी शामिल है।

(ङ) जी, नहीं रेल दावा अधिकरण, भोपाल के काम में निरंतरता बनाये रखने के लिए जुलाई, 1993 में सदस्य न्यायिक/दिल्ली को विशेष रूप से भोपाल जाने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया था जिन्होंने वहां सुनवाई की। तथापि मामलों की लगातार सुनवाई नहीं हो पायी।